"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2 22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2013—आश्विन 12, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2013

क्रमांक ई-1-1-2013/1/2.—श्री ए. कुलभूषण टोप्पो, भा.प्र.से., (सी.जी. : 2004), पंजीयक, सहकारी संस्थाएं को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर सुकमा पदस्थ किया जाता है.

2. श्री एस. प्रकाश, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2005), कलेक्टर कबीरधाम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं पदस्थ किया जाता है तथा महानिरीक्षक, पंजीयक व मुद्रांक तथा उपसचिव आबकारी व उपसचिव वाणिज्यिक कर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

3. श्री पी. दयानंद, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2006), कलेक्टर, सुकमा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, कबीरधाम पदस्थ किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्रमांक ई-01-01-2013/एक/2.—श्री आर. पी. एस. त्यागी, भा.प्र.से. (2001) कलेक्टर, जांजगीर-चांपा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, रायपुर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री अन्बलगन पी., भा.प्र.से. (2004), उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जांजगीर-चांपा पदस्थ किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2013

क्रमांक ई 1-01-2013/1/2.—श्री अमित कटारिया, भा.प्र.से. (सीजी : 2004), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री अलेक्स व्ही. एफ. पाल मेनन व्ही., भा.प्र.से. (सीजी : 2006) उप सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण एवं अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर पदस्थ किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्रमांक ई-01-01-2013/एक/2.—श्रीमती निधि छिब्बर, भा.प्र.से. (1994), सचिव, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर पदस्थ किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2013

क्रमांक ई-01-01-2013/एक/2.—श्री अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. (1993), को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्ति पर छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग में कार्यभार ग्रहण उपरांत अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जनशक्ति नियोजन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2013

क्रमांक बी-1 4/20[illegible]क/4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती जयश्री जैन (रा.प्र.से. आर. आर.-05, वरिष्ठ श्रेणी, गृह जिला-सरगुजा) संयुक्त कलेक्टर, [illegible] अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

2. उपरोक्त आदेश हेतु समन्वय में अनुमोदन प्राप्त किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. ठाकुर, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्रमांक/एफ 7-100/2003/32.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1577/843/32 दिनांक 15 अगस्त, 2008 द्वारा कोण्डागांव निवेश क्षेत्र का गठन करते हुए उसकी सीमाएं परिनिश्चित की गई है, को राज्य शासन छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13(2) (क) के अंतर्गत उक्त निवेश क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्गठन करते हुये नीचे दी गई अनुसूची पुनरीक्षित सीमाएं परिनिश्चित् करता है :—

अनुसूची

कोण्डागांव निवेश क्षेत्र की पुनरीक्षित सीमाएं

उत्तर में : ग्राम मसोरा एवं डोंगरीगुड़ा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम डोंगीहगुड़ा, कोण्डागांव एवं चिखलपुटी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम चिखलपुटी एवं संबलपुर ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम संबलपुर, कोण्डागांव, देवखरगांव एवं मसोरा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 9-69/20[illegible]/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 26-6-2013 द्वारा नया धमतरी विकास योजना 2021 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

धमतरी विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	हटकेशर, प.ह.नं. 21, रा.नि.मं.-भोथली, तहसील धमतरी	855/4 का भाग	0.35/0.142 में से 0.138 हे.	प्रस्तावित मार्ग एवं प्रस्तावित उद्यान	आवासीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		855/1 का भाग	0.35/0.142 में से 0.073 हे.	प्रस्तावित आवासीय एवं प्रस्तावित मार्ग	आवासीय
		855/5 का भाग	0.10/0.041 में से 0.043 हे.	प्रस्तावित मार्ग एवं प्रस्तावित उद्यान	आवासीय
		855/8 का भाग	0.10/0.041 में से 0.019 हे.	प्रस्तावित उद्यान	आवासीय
		566 का भाग	0.269 हे.	प्रस्तावित मार्ग, वृक्षारोपण एवं आवासीय	वृक्षारोपण एवं आवासीय
		854/1 का भाग	0.022 में से 0.019 हे.	प्रस्तावित उद्यान एवं प्रस्तावित मार्ग	आवासीय
		854/28 का भाग	0.105/11248 वर्गफुट में से 0.006 हे.	प्रस्तावित वृक्षारोपण, प्रस्तावित मार्ग एवं प्रस्तावित उद्यान	आवासीय
		851/1 का भाग	0.072 में से 0.043 हे.	प्रस्तावित आवासीय एवं प्रस्तावित मार्ग	आवासीय
		851/2 का भाग	0.21/0.086 में से 0.08 हे.	प्रस्तावित आवासीय एवं प्रस्तावित मार्ग	वृक्षारोपण
		851/5 का भाग	0.42/0.170 में से 0.131 हे.	प्रस्तावित मार्ग एवं वृक्षारोपण	वृक्षारोपण
		571/1-2-3 का भाग	1.87/0.756 में से 0.38 हे.	वृक्षारोपण, प्रस्तावित मार्ग एवं प्रस्तावित आवासीय	वृक्षारोपण एवं आवासीय
		570/1 का भाग	1.45/0.587 में से 0.036 हे.	प्रस्तावित मार्ग एवं प्रस्तावित आवासीय	आवासीय
		570/2 का भाग	0.03 हे.	प्रस्तावित मार्ग एवं आवासीय	आवासीय
		584/1 का भाग	0.90/0.364 में से 0.18 हे.	प्रस्तावित उद्यान, प्रस्तावित आवासीय एवं प्रस्तावित मार्ग	आवासीय
		584/2 का भाग	0.89/0.360 में से 0.009 हे.	प्रस्तावित उद्यान, प्रस्तावित आवासीय एवं प्रस्तावित मार्ग	आवासीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		583/1 का भाग	0.98/0.397 में से 0.081 हे.	प्रस्तावित उद्यान, प्रस्तावित आवासीय एवं प्रस्तावित मार्ग	आवासीय
		582/1 का भाग	0.62/0.251 में से 0.121 हे.	प्रस्तावित आवासीय एवं प्रस्तावित मार्ग	आवासीय
		582/2 का भाग	0.47/0.190 में से 0.121 हे.	प्रस्तावित आवासीय एवं प्रस्तावित मार्ग	आवासीय
		851/4 का भाग	0.0016 हे.	प्रस्तावित मार्ग, वृक्षारोपण	वृक्षारोपण
		879/1-2-3	0.138 हे.	प्रस्तावित मार्ग	नहर
		585/2 का भाग	0.065 हे.	प्रस्तावित मार्ग/आवासीय	आवासीय
2.	बठेना, प.ह.नं.-19 रा.नि.मं. भोथली तहसील धमतरी	11/1 का भाग	0.161 हे.	प्रस्तावित मार्ग एवं आवासीय	आवासीय
		11/2 का भाग	0.033 हे.	प्रस्तावित मार्ग एवं आवासीय	आवासीय
		7/13 का भाग	0.07/0.028 में से 0.014 हे.	प्रस्तावित आवासीय एवं प्रस्तावित मार्ग	आवासीय
		7/12 का भाग	0.016 हे.	प्रस्तावित आवासीय एवं मार्ग	आवासीय
		7/11 का भाग	0.09 हे.	प्रस्तावित आवासीय एवं मार्ग	आवासीय
		7/10 का भाग	0.149 हे.	प्रस्तावित आवासीय एवं मार्ग	आवासीय
		7/8	0.202 हेक्टर (0.50 एकड़)	प्रस्तावित आवासीय एवं प्रस्तावित मार्ग	आवासीय
		7/9 का भाग	0.49/0.198 में से 0.012 हे.	प्रस्तावित आवासीय एवं प्रस्तावित मार्ग	आवासीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		71 का भाग	0.	प्रस्तावित आवासीय एवं प्रस्तावित मार्ग	आवासीय
3.	अर्जुनी, प.ह.नं. 19 रा.नि.मं.-भोथली, तहसील धमतरी	533 का भाग	0.73 हे.	आवासीय	प्रस्तावित 30 मीटर मार्ग
		534 का भाग	0.60 हे.	कृषि एवं आवासीय	प्रस्तावित 30 मीटर मार्ग
		579/1 का भाग	0.09 हे.	कृषि एवं आवासीय	प्रस्तावित 30 मीटर मार्ग

2. **उक्त प्रस्तावित उपांतरण प्रस्तावित 45 मीटर मार्ग को विलोपित एवं 30 मीटर मार्ग प्रस्तावित करने के लिए है.**

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि के भीतर प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विचारोपरांत राज्य शासन एतद्द्वारा धमतरी विकास योजना 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण धमतरी विकास योजना 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 7-4/2013/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसं ़ाक सूचना दिनांक 26-2-2013 द्वारा बिलासपुर विकास योजना में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

बिलासपुर विकास योजना की स्वीकार्य उपयोग की सारणी क्रमांक-04-सा-18 में संशोधन

क्र.	सारणी का क्रमांक	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	सारणी के कालम 04 सा 18 में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में निम्न गतिविधियां जोड़ा जाकर उपांतरण किया जाए
(1)	(2)	(5)	(6)
1.	04-सा-18	कृषि	एकीकृत उपनगर, भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
2.	04-सा-18	आवासीय	एकीकृत उपनगर, भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
3.	04-सा-18	वाणिज्यिक सामान्य	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	04-सा-18	वाणिज्यिक विशेषीकृत	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं
5.	04-सा-18	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं
6.	04-सा-18	औद्योगिक	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं
7.	04-सा-18	आमोद-प्रमोद	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं
8.	04-सा-18	यातायात एवं परिवहन	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं

2. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

3. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा बिलासपुर विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण बिलासपुर विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्रमांक 8783/2539/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री शिवदयाल साहू, अधिवक्ता, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.) अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गरियाबंद के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए श्री पुरुषोत्तम राम साहू, जिन्हें इस विभाग के आदेश क्रमांक 7852/2776/21-ब दिनांक 11-09-2007 के द्वारा नियुक्त किया गया था, के स्थान पर श्री शिवदयाल साहू, को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहणा करने की तिथि से एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा -24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उन्हें गरियाबंद जिला-गरियाबंद (छ.ग.) के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उक्त अवधि के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद् 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्रमांक 8812/2995/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय, रायपुर (छ.ग.) के लिये अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री किशोर ताम्रकार, अधिवक्ता को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिए अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक की अवधि, जो भी

पहले हो, के लिये, परिवीक्षा पर विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगा. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 7492/डी 2655/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 18-09-12 एवं 8910/3016/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 20-11-2012 के अनुरूप देय होगा.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-2014-न्याय प्रशासन-103-विशेष न्यायालय, 0/03 केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना, 5171 विशेष न्यायालयों की स्थापना, 10 व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008 शासकीय अभिभाषकों के शुल्क के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा, किया जावेगा.

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2013

क्रमांक 8913/3073/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री रेवतीरमण तिवारी, अधिवक्ता, जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए श्री संतोष गुप्ता के स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिये उन्हें जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से परिवीक्षा पर अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन,114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सांवत, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2013

क्रमांक 8484/2532/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री रजनी कांत भोई, नोटरी सरायपाली जिला महासमुंद (छ.ग.) का स्वर्गवास होने के कारण उनका नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 1–15/2007/स्था./चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,–

अनुसूची–दो, तीन एवं चार के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिए)

भर्ती की प्रक्रिया

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		नियुक्ति प्राधिकारी
					सेवा के सदस्यों की पदोन्नति, द्वारा	सीधी भर्ती द्वारा	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी	डाटा एंट्री ऑपरेटर	21	–	100%	1. आयुक्त/संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई वरिष्ठ अपर संचालक/संयुक्त संचालक, संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग.– अध्यक्ष। 2. आयुक्त/ संचालक, संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा नाम निर्दिष्ट छ.ग. राज्य वित्त सेवा को कोई अधिकारी जो कि संयुक्त संचालक/ उप संचालक/सहायक संचालक पद के समकक्ष पद का हो – सदस्य।
2.	–तदैव–	–तदैव–	सहायक प्रोग्रामर	17	20%	80%	

							3. आयुक्त / संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा नाम निर्देशित तकनीकी अधिकारी -- सदस्य । 4. यदि ऊपर उल्लेखित समिति में अनुसूचित जाति / जनजाति का प्रतिनिधि नहीं है तो आयुक्त / संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन इस जाति से छ.ग.राज्य वित्त सेवा के वरिष्ठ संयुक्त संचालक / उपसंचालक / सहायक संचालक को नाम निर्दिष्ट करेंगे -- सदस्य।

अनुसूची–तीन
(नियम 6 देखिए)

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	सेवा में पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	विहित शैक्षणिक अर्हता
1	2	3	4	5	6	7
1.	वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी	सहायक प्रोग्रामर	21 वर्ष	30 वर्ष	क. बी.ई. कम्प्यूटर साईस अथवा सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) / बी.टेक प्रथम श्रेणी के साथ या कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी, अथवा ख. एम.सी.ए. / एम.सी.एम. / एम.एम.सी. कम्प्यूटर साईस / सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) में स्नातकोत्तर डिग्री प्रथम श्रेणी के साथ या कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी, अथवा ग. बी.सी.ए. / बी.एस.सी. कम्प्यूटर साईस / सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) में स्नातक डिग्री प्रथम श्रेणी के साथ या कुल मिलाकर कम से कम 65 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी

2.	वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी	डाटा एंट्री ऑपरेटर	21 वर्ष	30 वर्ष	क. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा। ख. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/ प्रमाण–पत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एण्ट्री 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।

अनुसूची–चार

(नियम–16 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	उस सेवा या पदों के नाम, जिससे पदोन्नति किया जाना है	उस सेवा या पदों के नाम, जिस पद पर पदोन्नति किया जाना है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी	डाटा एंट्री ऑपरेटर	सहायक प्रोग्रामर	1. आयुक्त/संचालक/अपर संचालक संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन – अध्यक्ष । 2. आयुक्त/संचालक, संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा नाम निर्देशित अधिकारी, जो कि संयुक्त संचालक/ उपसंचालक स्तर के हों – सदस्य । 3. यदि ऊपर उल्लेखित समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधि नहीं है तो आयुक्त/ संचालक, संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, ऊपर उल्लेखित प्रवर्ग के वरिष्ठ अधिकारी के नाम निर्देशित करेंगे – सदस्य ।	जो संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के अधीन डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर पाँच वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके हों तथा सहायक प्रोग्रामर की योग्यता धारण करते हों।

टीप – "इन नियमों में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम, आदेश निर्देश, नियम अथवा विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के मात्र

स्थानीय निवासी ही, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिये, संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भुत रिक्तियों पर भर्ती हेतु पात्र होंगे।"

No. F 1-15/2007/Est./Four.—In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Treasuries Information Technology (Non Gazetted) Service Recruitment Rules, 2008 namely:-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

For Schedule-II, III and IV, the following shall be substituted, namely:-

SCHEDULE - II
(See rule 6)

Procedure of Recruitment

S. No.	Name of Department	Name of Service	Name of post	Total Number of duty posts	Percentage of the number of duty posts to be filled in		Appointing Authority
					By Promotion from members of service	By direct Recruit-ment	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Finance Department	Chhattisgarh Treasuries Information Technology	Data Entry Operator	21	-	100%	1. Commissioner/ Directorate, Treasury, Accounts and Pension or any Seiner Additional Director /Joint Director, Directorate, Treasury Accounts and Pénsion, Chhattisgarh nominated by him- chairmen.
2.	....do.....	.......do.......	Asstistant Progra-maers	17	20%	80%	

								2. Any officer of Chhattishgarh State Finance Service nominated by the commissioner/ Director, Directorate, Treasury Accounts and Pension equivalent to the post of Joint Director/Deputy Director/ Assistant Director- Member. 3. Technical Officer nominated by Commissioner/ Director, Treasury Accounts and Pension- member. 4. In the above mentioned committee if there is no representation of Schedule Castes /Tribes the Commissioner/ Director, Treasury Accounts and Pension will nominate Senior Joint Director/ Deputy Director/ Assistant Director, of Chhattisgarh State Finance Service belonging to this castes shall be nominated by him- member.

SCHEDULE - III
(See rule 6)

S. No.	Name of Depart-ment	Name of Service	Name of post in service	Minimum age	Maximum age	Prescribed Educational Qualification
1	2	3	4	5	6	7
1.	Finance Depart-ment	Chhattisgarh Treasuries Information Technology	Assistant Pro-grammer	21 years	30 years	**a.** B.E. Computer Science or Information Technology (IT) B.TECH with 1st class Or at least 60 percent marks aggregate or equivalent grade, Or **b.** M.C.A./M.C.M./ M.Sc. Computer Science/ post Graduate Degree in Information Technology (IT) with 1st class Or at least 60 percent marks in aggregate or equivalent grade Or **c.** B.C.A./B.Sc. Computer Science/ Graduate in Information Technology (IT) with 1st class Or atleast 65 percent marks in aggregate or equivalent grade.
2.	Finance Depart-ment	Chhattisgarh Treasuries Information Technology	Data Entry Operator	21 years	30 years	(1). Passed (10+2) Examination from any rcognized Board. Or Passed Old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University, Or passed 10th Exami-nation and three year Diploma from any recognized institute.

						(2) One year diploma/ Certificate in Data Entry Operator / Programming from any recognized institute and speed of data entry 8,000 (key) depression per hour in Hindi and English (effiency test for speed shall be taken)

SCHEDULE - IV
(See rule 16)

Name of Department	Name of Service	Name service or posts from which promotion is to be made	Name of the service of posts to which promotion is to be made	Name of the member of Departmental Promotion Committee	Remarks
1	2	3	4	5	6
Finance Department	Chhattisgarh Treasuries Information Technology	Data Entry Operator	Assistant Programmer	1. Commissioner/ Director/Additional Director, Directorate Treasury, Accounts and Pension - Chairman 2. Nominated by the Commissioner/ Director, Directorate Treasury, Accounts and Pension which is the officer in the rank of Joint Director/Deputy Director- Member	Complete Five Years of Service on the posts of Data Entry Operator under the Directorate of Treasury Accounts and Pension and Holding Qualification of Assistant Programmer.

				3. If in the above mentioned committee there is no representative of Scheduied Castes/Scheduled Tribes the Commissioner/ Director, Directorate Treasury Accounts and Pension shall nominate a senior officer belonging to the above mentioned category- Member	

Note :- Notwithstanding anything contained in these rules or any other Act, Order, Direction, Rules or Low for the time being in force, only local residents of the districts coming under Baster and Sarguja Division, Shall be eligible for recruitment to the vacancies arising in Class-III and Class-IV post of the districts cadre in various departments of the concerned districts, for a period of two year from the date of issue of this notification.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. जे. खत्री, संयुक्त सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 10-09/2013/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

(अ) योजना का प्रावधान :—

(i) योजना का नाम "मुख्यमंत्री कोटवार सायकल एवं टार्च सहायता योजना" होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के कोटवार प्रवर्ग को सायकल हेतु रुपये 3,000/- अथवा सीएसआईडीसी द्वारा सायकल हेतु निर्धारित दर जो कम होगा एवं टार्च हेतु रुपये 750/- प्रति व्यक्ति प्रदाय किया जावेगा.

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) योजना हेतु पात्रता :—

(i) योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसी भी जिले में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीकृत हो, को प्रदाय किया जावेगा.

(ii) पंजीकृत असंगठित कर्मकार कोटवार वर्ग की आयु 18 से 60 वर्ष आयु समूह.

(iii) मंडल द्वारा लागू सायकल सहायता योजना तथा राज्य शासन के अन्य विभागों द्वारा लागू किये गये किसी अन्य योजनान्तर्गत सायकल एवं टार्च सहायता/लाभ न प्राप्त किया हो.

(iv) योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

(i) आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर

(ii) आवेदन में पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है.

(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा.

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर, सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्त 1 अन्य अधिकारी की समिति को होगा.

(ई) **विसंगति का निराकरण :—**

(i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा.

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 10-11/2013/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "मुख्यमंत्री राऊत, चरवाहा एवं दूध दुहने वाले सायकल सहायता योजना" होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के राऊत, चरवाहा एवं दूध दुहने वाले प्रवर्ग को सायकल हेतु रुपये 3,000/- अथवा सीएसआईडीसी द्वारा सायकल हेतु निर्धारित दर जो कम हो, प्रदाय किया जावेगा.

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसी भी जिले में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीकृत हो, को प्रदाय किया जावेगा.

(ii) पंजीकृत असंगठित कर्मकार राऊत, चरवाहा तथा दूध दुहने वाले वर्ग की आयु 18 से 60 वर्ष आयु समूह.

(iii) योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

(i) आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर

(ii) आवेदन में पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है.

(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के जिला पंचायत कार्यालय/नगरीय निकाय/श्रम कार्यालय में जमा किया जावेगा.

(द) स्वीकृति का अधिकार :—

(i) योजना के अंतर्गत क्षेत्राधिकारिता के जिला पंचायत कार्यालय/नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/नगर निगम आयुक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन अनुशंसा सहित स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर को प्रेषित करेगा.

(ii) योजना के अंतर्गत आवेदनों की स्वीकृति का अधिकार जिला कलेक्टर अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को मान्य होगा.

(ई) विसंगति का निराकरण :—

(i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा.

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 1-58/2013/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा छ.ग. श्रम कल्याण मंडल हेतु निम्नानुसार संचालक मंडल का पुनर्गठन करता है :—

1. अध्यक्ष — श्री श्रीनारायण तिवारी
2. उपाध्यक्ष — श्री प्रमोद भट्ट
3. सचिव — कल्याण आयुक्त, छ.ग. श्रम कल्याण मंडल

स्वतंत्र शासकीय सदस्य

1. अपर मुख्य सचिव/सचिव, श्रम
2. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर
3. आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि, रायपुर
4. उप कल्याण आयुक्त, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, रायपुर

संचालक सदस्य नियोजक प्रतिनिधि

1. महाप्रबंधक, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, बालको, कोरबा
2. महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. कोरबा
3. महाप्रबंधक, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई.
4. अध्यक्ष, छ.ग. सीमेंट उद्योग एसोसियेशन
5. अध्यक्ष, उरला इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन
6. महाप्रबंधक, छ.ग. पावर होल्डिंग कंपनी, रायपुर

संचालक सदस्य कर्मचारी प्रतिनिधि

1. श्री योगेश दत्त मिश्र (बी.एम.एस.)
2. श्री शिव साहू, वार्ड क्रमांक-14, बिल्हा, बिलासपुर
3. श्री शशि भूषण कश्यप (बी.एम.एस.), कुसमुण्डा, विकासनगर, कोरबा
4. श्री नन्दकुमार तिवारी, मुकाम टेकारी, मांढर, कालोनी
5. श्री नूतनेश्वर खोब्रागड़े, एटक
6. श्री दुष्यंत तिवारी, इंटक

संचालक सदस्य स्वतंत्र सदस्य

1. श्रीमती धरनी साहू, पति डॉ. फूलजी साहू, देवसदन, वार्ड नं.-17, तर्री रोड, गोबरानवापारा जिला-रायपुर
2. श्री राधेराम बंजारे, ग्राम-कुम्ही, थाना-राजिम, जिला-गरियाबंद
3. श्री ईतवारी चक्रधारी, ग्राम-नवागांव, वि.खं.-अभनपुर, जिला-रायपुर
4. श्री गुलाबराव, गोबरानवापारा, जिला-रायपुर
5. श्री तोषण लाल साहू, ग्राम चरौदा, वि.खं.-अभनपुर, जिला-रायपुर
6. श्रीमती किरण मरकाम, पोड़ी-उपरोड़ा, कोरबा
7. श्री रामचंद्र यादव, ग्राम उरलापुर, पोस्ट-संकरी, जिला-बिलासपुर

2. उक्त समिति छ.ग. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा 4 के उपधारा (3) के खण्ड "ख" एवं "ग" के अधीन नाम-निर्देशित सदस्यों की पदावधि नाम निर्देशन की तारीख से 03 वर्ष तक प्रभावशील होगी. उक्त अवधि समाप्त होने पर आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2013

क्रमांक 4813/721/2013/20-एक.—छत्तीसगढ़ प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम-1973 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त पाठ्य सामग्रियों को शिक्षा सत्र 2013-14 के लिए पाठ्य-पुस्तक के रूप में प्रयोग हेतु निर्दिष्ट करता है :—

1. अतिरिक्त पाठ्य सामग्री "बचपन" कक्षा 1 से 5 के लिए.
2. अतिरिक्त पाठ्य सामग्री "बालमित्र" कक्षा 6 से 8 के लिए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एस. डेहरे, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 1-2/2013/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा अनुसार श्री एस. भारती, सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक को कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक के पद पर वेतन बैण्ड 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रुपये 6600 में पदोन्नत कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, संभाग-बिलासपुर के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एस. गुर्जर, अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2013

क्रमांक 11095/2559/दो–गृह/बजट/2013.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) के तहत नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नम्बर 3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कॉलम नम्बर 4 की तत्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कॉलम नम्बर 2 में वर्णित बलौदाबाजार–भाटापारा एवं रायपुर जिले के पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है :—

जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा

क्र.	थाना/चौकी का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है	थाना चौकी का नाम जिसमें से अपवर्जित किया जाना है	ग्रामों के नाम	पटवारी हल्का नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	चौकी गिरौदपुरी	थाना कसडोल	सराईपाली गाजरडीह	वनग्राम वनग्राम

जिला–रायपुर

क्र.	थाना/चौकी का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है	थाना चौकी का नाम जिसमें से अपवर्जित किया जाना है	क्षेत्र का नाम	पटवारी हल्का नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना देवेन्द्रनगर	थाना सिविल लाईन	नहर पुलिया से बस स्टैण्ड छोटी रेल्वे क्रासिंग पण्डरी उत्तर की ओर का सम्पूर्ण बस स्टैण्ड क्षेत्र.	109
2.	थाना तेलीबांधा	थाना सिविल लाईन	गायत्री नगर, खम्हारडीह, सेल टैक्स कॉलोनी, भावनानगर, खम्हारडीह मोर्चा पाईट से अवंती बिहार मार्ग के पूर्व का भाग.	110, 113
3.	थाना सिविल लाईन	थाना गोलबाजार	1. कलेक्टोरेट, न्यायालय परिसर एवं ईएससी कॉलोनी. 2. सालेम स्कूल परिसर	
4.	थाना सिविल लाईन	थाना तेलीबांधा	कविता नगर, अवंति बिहार रोड का बायीं ओर का भाग.	
5.	थाना राजेन्द्रनगर	थाना तेलीबांधा	महावीरनगर, पुरैना, न्यू पुरैना, माईनिंग आफिस, साईमंदिर.	
6.	थाना देवेन्द्रनगर	थाना पंडरी	1. बस स्टैण्ड से मण्डीगेट तक का पश्चिम क्षेत्र कपड़ा मार्केट.	109, 108/38

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. देवेन्द्रनगर सेक्टर 04 एवं सेक्टर 05, मंडी गेट से कृषि उपज मंडी रेल्वे क्रासिंग तक पश्चिम का एरिया एवं समलेश्वरी नगर क्षेत्र.	
7.	थाना गंज	थाना देवेन्द्रनगर	1. रेल्वे क्रासिंग से रेल्वे क्रासिंग छोटी लाईन बिलासपुर रोड तक (पश्चिम भाग) एवं जेल क्षेत्र. 2. थाना गंज के सामने पेट्रोल पंप पारसनगर, साईनगर, साहूपारा एवं पाटीदर भवन गली तक.	
8.	थाना गंज	थाना मौदहापारा	नहरपारा, सुभाष नगर, फारेस्ट कालोनी	46
9.	थाना कोतवाली	थाना टिकरापारा	पुजारी पार्क, सिद्धार्थ चौक से पचपेढ़ीनाका, टैगोरनगर.	
10.	थाना आजाद चौक	थाना सरस्वतीनगर	गुरुघासीदास प्लाजा, रामकुंड से पूर्व आमापारा बाजार से अग्रसेन चौक, नूतन राईसमिल राखीनगर से प्रगति कॉलेज से राजकुमार कॉलेज तक का बायें ओर.	36
11.	थाना आमानाका	थाना उरला	हथबंध, नंदनवन, तेन्दुआ	103
12.	थाना विधान सभा	थाना पण्डरी	छोकरा नाला के बाद सडडू	109/39
13.	थाना विधान सभा	थाना मंदिरहसौद	ग्राम संकरी, धनसुली, बाराडेरा, खपरी, पिरदा	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 3-62/दो-गृह/2008.—छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 38 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03 अप्रैल, 2013 द्वारा राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार का गठन किया गया है.

अत: उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन राज्य शासन, एतद्द्वारा राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार में निम्नानुसार सदस्यों की नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए करता है :—

1. श्री मनोहर पाण्डे, सेवानिवृत्त आईएएस,
2. श्रीमती सरिता उईके, पूर्व नगर पालिका, अध्यक्ष, दंतेवाड़ा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. डी. पुरबिया, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 20-87/2012/ग्यारह/(छै:).—चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि जनहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है.

अत: कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 की कंडिका-11 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये राज्य शासन इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-87/2012/ग्यारह/(छै:) दिनांक 26 अक्टूबर 2012 से घोषित कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के परिशिष्ट-1 अपात्र उद्योगों की सूची को संशोधित करता है, अर्थात् :—

संशोधन

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के परिशिष्ट-1 अपात्र उद्योगों की सूची को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—

अनुक्रमांक-10- राईस ब्रान आधारित साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट

अनुक्रमांक-11- खाद्य तेल रिफाईन करना (स्वतंत्र इकाई) (रिफाईनरी)

अनुक्रमांक-12- ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के परिशिष्ट-1 अपात्र उद्योगों की सूची में उक्त संशोधन इस नीति के लागू होने की दिनांक अर्थात् 01 नवम्बर 2012 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. बैजेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 सितम्बर 2013

क्रमांक 662/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	तनौद प. ह. नं. 20	2.584	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बॅराज निर्माण संभाग, क्रमांक 2 चांपा (छ.ग.)	शिवरीनारायण बरॉज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 सितम्बर 2013

क्रमांक 667/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	देवरी प. ह. नं. 26	1.710	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बॅराज निर्माण संभाग, क्रमांक 2 चांपा (छ.ग.)	शिवरीनारायण बरॉज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 सितम्बर 2013

क्रमांक 672/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	देवरघटा प. ह. नं. 19	1.415	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बॅराज निर्माण संभाग, क्रमांक 2 चांपा (छ.ग.)	शिवरीनारायण बरॉज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 सितम्बर 2013

क्रमांक 677/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	हड़हा प. ह. नं. 21	1.285	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बॅराज निर्माण संभाग, क्रमांक 2 चांपा (छ.ग.)	शिवरीनारायण बरॉज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 सितम्बर 2013

क्रमांक 682/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	भड़ेरियापारा प. ह. नं. 27	0.506	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बॅराज निर्माण संभाग, क्रमांक 2 चांपा (छ.ग.)	शिवरीनारायण बरॉज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 17 सितम्बर 2013

रा. प्रकरण क्रमांक 01 अ 82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	बनियाकूबा प. ह. नं. 42	3.421	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम.	रेंगाबोड़ (कुण्डा) व्यपवर्तन योजना के नहर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सूरजपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2013

राजस्व प्रकरण क्रमांक/01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	प्रेमनगर	चन्दननगर	1.53	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग छ. रा. वि. उत्पा. कं. मर्या., बिश्रामपुर.	संयुक्त रेल लाईन परियोजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर, जिला-सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2013

राजस्व प्रकरण क्रमांक/01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	प्रेमनगर	सल्का	10.28	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग छ. रा. वि. उत्पा. कं. मर्या., बिश्रामपुर.	संयुक्त रेल लाईन परियोजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर, जिला-सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 सितम्बर 2013

क्रमांक 13724.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बाड़ादरहा, प.ह.नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.23 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
231	0.04
240	0.32
257/4	0.09
502	0.06
507/1, 508/1	1.20
507/2	0.10
549/3	0.03
550/3	$0.03^{1/2}$
550/7	$0.04^{1/2}$
550/22	0.20
550/23	0.10
585/1	0.64
620/9	0.03
640/3	0.24
640/4	0.24
664/4	0.11
664/5	0.11
670/7	0.11
676	0.06

(1)	(2)
682/13क	0.15
682/13ग	0.07
686/4	0.06
690	0.46
696	0.64
700/2, 700/3	0.18
700/7	0.11
700/11, 700/12क	0.05
700/13क	0.01
710/1	0.09
710/2	0.06
710/3	0.11
710/4	0.22
728/1	0.06
728/2	0.07
729/2	0.09
735/2	0.04
748/5	0.08
774/1	0.44
774/3	0.45
780/8	0.09
780/11	0.06
780/14	0.08
780/16	0.08
780/19	0.07
780/20	0.08
780/21	0.08
811/8	2.00
827/20क	0.12
829/5	0.05
830/1च	0.06
830/2च	0.11
831/3	0.14
831/8	0.10
831/9	0.14
831/10	0.09
850/1	0.08
850/6	0.13
850/8	0.09
850/13	0.08
850/15	0.12
850/16	0.08
855	0.10
योग	11.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में उपलब्ध है शासकीय कार्य दिवस एवं कार्यावधि में अवलोकन/निरीक्षण किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 सितम्बर 2013

क्रमांक 13725.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-टुण्ड्री, प.ह.नं. 02

(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.73 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
92/1	0.09
92/2	0.10
160/1	0.23
174/1	1.10
174/2	0.59
174/3	0.50
175/1	1.55
175/2	0.15
175/3	0.03
175/4	0.15
176/1	0.83
176/3	0.83

(1)	(2)
181/3	0.77
193/2	0.58
207/2	0.08
208/1	0.49
208/2	0.25
208/3	0.74
213/1	0.26
213/2	0.18
214	0.14
215/1	0.15
215/2	0.15
215/3	0.15
215/4	0.08
215/5	0.16
215/6	0.07
219/1	0.17
219/2	0.11
406/1	0.50
406/2	0.50
406/3	0.48
406/5	0.50
407/2	0.40
416	1.03
417/2	0.51
439/1	0.03
439/2	0.02
439/3	0.01
440/5	0.07
योग	14.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में उपलब्ध है शासकीय कार्य दिवस एवं कार्यावधि में अवलोकन/निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 4 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-विद्याडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.09 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
2/1	0.44
2/3	0.17
4	0.40
44/1	0.08
योग	1.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कनेरी एनीकट पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

(ख) तहसील-मस्तूरी

(ग) नगर/ग्राम-बसहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.29 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
318/4	0.10
318/1	0.10
308	0.09
योग	0.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-निरतू बसहा एनीकट पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में कियाँ जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2013

भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

(ख) तहसील-मस्तूरी

(ग) नगर/ग्राम-उडांगी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.41 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
237	0.09
244	0.16
243	0.07
251	0.09
योग	0.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-निरतू बसहा एनीकट पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

(ख) तहसील-मस्तूरी

(ग) नगर/ग्राम-उडांगी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.80 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
172/2	0.80
योग	0.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलागर व्यपवर्तन योजना निरीक्षण गृह निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 17 सितम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-तराईमाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-38.663 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
62/4	0.168
140/2	0.405
141/6क	0.162
139/1ख	0.435
127/2	0.586
128/2	0.405
129/2ग	0.675
74/2	0.103
55/2	1.282
57/7	0.023
57/12	0.445
57/1	0.242
57/10	0.445
57/15	0.606
80/10	0.043
40/2	1.376
74/5	0.045
57/17	0.046
57/3	0.850
80/2	0.061
74/6	0.045
132	2.193
73/1ग	0.007
129/7	0.371
139/1क	0.435
139/1ग	0.435
70/3	0.317
85/2	0.206
141/6ग	0.162
74/2ख	0.103
56/2	1.619
57/8	0.085
57/13	0.081
57/9	0.850
57/11	0.147
57/20	0.040
80/13	0.026
81/2	0.093
80/11	0.043
74/3	0.045
57/4	0.022
59/2ख	0.162
80/9	0.046
40/1	1.376
141/8झ/2	0.607
129/33	1.011
141/6ख	0.162
88/2	0.202
78	0.053
124	0.246
129/8ग	0.673
138/2	0.162
56/3	3.960
80/3	0.045
57/14	0.066
74/1	0.181
80/5	0.045
57/21	0.852
54	0.737
57/22	0.852
80/12	0.026
80/8	0.043
57/5	0.085
57/18	0.040
80/14	0.023
86	0.150

(1)	(2)
73/2	1.112
129/35	0.538
129/8ख	0.675
88/4	0.279
130/1	0.709
139/2	0.462
73/1क	0.701
123	1.036
57/6	0.850
80/4	0.062
80/7	0.088
57/2	0.242
80/6	0.042
74/4	0.045
81/1	0.194
57/23	0.040
57/16	0.850
80/15	0.022
80/1	0.045
57/19	0.852
130/2	2.124
138/1	0.162
योग 88	38.663

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 9 सितम्बर 2013

क्रमांक 8093/भू-अर्जन/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पोंडीउपरोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-जुराली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.076 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
503/1	0.040
527/2	0.036
योग	0.076

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटघोरा-जुराली मार्ग पर अहिरन नदी पर सेतु व पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पोंडीउपरोडा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2013

क्रमांक 15/चार/वि.स.चु./2013/4234.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का आदेश संख्या क्रमांक-434/CG-LA/2013(1) तथा 434/CG-LA/2013 (2) दिनांक 06 सितम्बर, 2013 आयोग द्वारा छ.ग. राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये रिटर्निंग आफिसर एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुमार कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर, 2013—15 भाद्रपद, 1935 (शक)

अधिसूचना

सं. 434/छ.ग.-वि.स./2013 (1).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना संख्या 434/छ.ग.-वि.स./2013 (1) दिनांक 8 जुलाई, 2008 का अधिक्रमण करते हुए भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के परामर्श से, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों को उनके सामने उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए, रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है —

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम (1)	रिटर्निंग आफिसर (2)
1-भरतपुर-सोनहत (अ.ज.जा)	अपर कलेक्टर, बैकुण्ठपुर
2-मनेन्द्रगढ़	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया
3-बैकुण्ठपुर	कलेक्टर, कोरिया
4-प्रेमनगर	कलेक्टर, सूरजपुर
5-भटगांव	अपर कलेक्टर सूरजपुर
6-प्रतापपुर (अ.ज.जा)	अनुविभागीय अधिकारी, प्रतापपुर
7-रामानुजगंज (अ.ज.जा)	कलेक्टर, बलरामपुर
8-सामरी (अ.ज.जा.)	अपर कलेक्टर, बलरामपुर
9-लुण्ड्रा (अ.ज.जा.)	अपर कलेक्टर, अम्बिकापुर
10-अम्बिकापुर	कलेक्टर, सरगुजा
11-सीतापुर (अ.ज.जा.)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सरगुजा

(1)	(2)
12-जशपुर (अ.ज.जा.)	कलेक्टर, जशपुर
13-कुनकुरी (अ.ज.जा.)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जशपुर
14-पत्थलगांव (अ.ज.जा.)	संयुक्त कलेक्टर, जशपुर
15-लैलूंगा (अ.ज.जा.),	अनुविभागीय अधिकारी, घरघोड़ा
16-रायगढ़	कलेक्टर, रायगढ़
17-सारंगढ़ (अ.जा.)	अतिरिक्त कलेक्टर, रायगढ़
18-खरसिया	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़
19-धरमजयगढ़ (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी, धरमजयगढ़
20-रामपुर (अ.ज.जा.)	अपर कलेक्टर, कोरबा
21-कोरबा	कलेक्टर, कोरबा
22-कटघोरा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा
23-पाली-तानाखार (अ.ज.जा.)	अपर कलेक्टर, कोरबा
24-मरवाही (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी, पेण्ड्रारोड
25-कोटा	एडिशनल कलेक्टर, पेण्ड्रारोड
26-तखतपुर	अपर कलेक्टर, बिलासपुर
27-बिल्हा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर
28-बिलासपुर	कलेक्टर, बिलासपुर
29-बेलतरा	अनुविभागीय अधिकारी, बिलासपुर
30-मस्तुरी (अ.जा.)	उपायुक्त (राजस्व), बिलासपुर
31-लोरमी	अनुविभागीय अधिकारी, लोरमी
32-मुंगेली (अ.जा.)	कलेक्टर, मुंगेली
33-अकलतरा	अनुविभागीय अधिकारी, जांजगीर-चांपा
34-जांजगीर-चांपा	कलेक्टर, जांजगीर-चाम्पा
35-सक्ती	अपर कलेक्टर, जांजगीर-चांपा
36-चन्द्रपुर	अनुविभागीय अधिकारी, डभरा
37-जैजैपुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा
38-पामगढ़ (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी, पामगढ़
39-सराईपाली (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली
40-बसना	अपर कलेक्टर, महासमुंद
41-खल्लारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद
42-महासमुन्द	कलेक्टर, महासमुन्द
43-बिलाईगढ़ (अ.जा.)	अपर कलेक्टर, बलौदाबाजार
44-कसडोल	अनुविभागीय अधिकारी, बलौदाबाजार
45-बलौदाबाजार	कलेक्टर, बलौदाबाजार-भाटापारा
46-भाटापारा	अनुविभागीय अधिकारी, भाटापारा
47-धरसींवा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर
48-रायपुर ग्रामीण	अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर
49-रायपुर नगर पश्चिम	अपर कलेक्टर, रायपुर
50-रायपुर नगर उत्तर	कलेक्टर, रायपुर
51-रायपुर नगर दक्षिण	अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, रायपुर
52-आरंग (अ.जा.)	उपायुक्त राजस्व, रायपुर
53-अभनपुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर
54-राजिम	कलेक्टर, गरियाबंद
55 बिन्द्रानवागढ़ (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी, गरियाबंद
56 सिहावा (अ.ज.जा.)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी
57-कुरूद	अपर कलेक्टर, धमतरी

(1)	(2)
58-धमतरी	कलेक्टर, धमतरी
59-संजारी बालोद	कलेक्टर, बालोद
60-डौण्डीलोहारा (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी, डौण्डीलोहारा
61-गुण्डरदेही	अपर कलेक्टर, बालोद
62-पाटन	अनुविभागीय अधिकारी, पाटन
63-दुर्ग ग्रामीण	अपर कलेक्टर, दुर्ग
64-दुर्ग शहर	कलेक्टर, दुर्ग
65-भिलाई नगर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग
66-वैशाली नगर	अपर कलेक्टर, दुर्ग
67-अहिवारा (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग
68-साजा	अपर कलेक्टर, बेमेतरा
69-बेमेतरा	कलेक्टर, बेमेतरा
70-नवागढ़ (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी, बेमेतरा
71-पंडरिया	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कबीरधाम
72-कवर्धा	कलेक्टर, कबीरधाम
73-खैरागढ़	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव
74-डोंगरगढ़ (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़
75-राजनांदगांव	कलेक्टर, राजनांदगांव
76-डोंगरगांव	अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव
77-खुज्जी	अपर कलेक्टर, राजनांदगांव
78-मोहला-मानपुर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी, मोहला
79-अंतागढ़ (अ.ज.जा.)	अपर कलेक्टर, कांकेर
80-भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कांकेर
81-कांकेर (अ.ज.जा.)	कलेक्टर, कांकेर
82-केशकाल (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी, कोण्डागांव
83-कोण्डागांव (अ.ज.जा.)	कलेक्टर, कोण्डागांव
84-नारायणपुर (अ.ज.जा.)	कलेक्टर, नारायणपुर
85-बस्तर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी, बस्तर
86-जगदलपुर	कलेक्टर, बस्तर
87-चित्रकोट (अ.ज.जा.)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर
88-दन्तेवाड़ा (अ.ज.जा.)	कलेक्टर, दन्तेवाड़ा
89-बीजापुर (अ.ज.जा.)	कलेक्टर, बीजापुर
90-कोन्टा (अ.ज.जा.)	कलेक्टर, सुकमा

आदेश से,

हस्ता/-
(आर. के. श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachana Sadan, Ashoka Road, New Delhi

New Delhi, the 6th September, 2013—15 Bhadrapada, 1935 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434/CG-LA/2013 (1).—In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its notification No. 434/CG-LA/2008 (1) dated 8th July, 2008, the Election Commission of India hereby designates, in consultation with the Government of Chhattisgarh, the officers of the Government specified in column 2 of the table below, as the Returning Officer of the Assembly Constituency in the state of Chhattisgarh as specified in column 1 of the said table against such officer :—

TABLE

Number and name of Assembly Constituency (1)	Returning Officer (2)
1-Bharatpur-Sonhat (S.T.)	Addl. Collector, Baikunthpur
2-Manendragarh	Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Koria
3-Baikunthpur	Collector, Koria
4-Premnagar	Collector, Surajpur
5-Bhatgaon	Addl. Collector, Surajpur
6-Pratappur (S.T.)	Sub Division Officer, Surajpur
7-Ramanujganj (S.T.)	Collector, Balrampur
8-Samri (S.T.)	Addl. Collector, Balrampur
9-Lundra (S.T.)	Addl. Collector, Ambikapur
10-Ambikapur	Collector, Sarguja
11-Sitapur (S.T.)	Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Sarguja
12-Jashpur (S.T.)	Collector, Jashpur
13-Kunkuri (S.T.)	Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Jashpur
14-Pathalgaon (S.T.)	Joint Collector, Jashpur
15-Lailunga (S.T.)	Sub Division Officer, Gharghoda
16-Raigarh	Collector, Raigarh
17-Sarangarh (S.C.)	Addl. Collector, Raigarh
18-Kharsia	Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Raigarh
19-Dharamjaigarh (S.T.)	Sub Division Officer, Dharamjaigarh
20-Rampur (S.T.)	Addl. Collector, Korba
21-Korba	Collector, Korba
22-Katghora	Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Korba
23-Pali-Tanakhar (S.T.)	Addl. Collector, Korba
24-Marwahi (S.T.)	Sub Division Officer, Pendraroad
25-Kota	Addl. Collector Pendraroad, Bilaspur
26-Takhatpur	Addl. Collector, Bilaspur
27-Bilha	Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Bilaspur
28-Bilaspur	Collector, Bilaspur
29-Beltara	Sub Division Officer, Bilaspur
30-Masturi (S.C.)	Dy. Commissioner (Revenue), Bilaspur
31-Lormi	Sub Division Officer, Lormi
32-Mungeli (S.C.)	Collector, Mungeli
33-Akaltara	Sub Division Officer, Janjgir-Champa
34-Janjgir-Champa	Collector, Janjgir-Champa
35-Sakti	Addl. Collector, Janjgir-Champa
36-Chandrapur	Sub Division Officer, Dabhara

(1)	(2)
37-Jaijepur	Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Janjgir-Champa
38-Pamgarh (S.C.)	Sub Division Officer, Pamgarh
39-Saraipali (S.C.)	Sub Division Officer, Saraipali
40-Basna	Addl. Collector, Mahasamund
41-Khallari	Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Mahasamund
42-Mahasamund	Collector, Mahasamund
43-Bilaigarh (S.C.)	Addl. Collector, Balodabazar
44-Kasdol	Sub Division Officer, Balodabazar
45-Balodabazar	Collector, Balodabazar-Bhatapara
46-Bhatapara	Sub Division Officer, Bhatapara
47-Dharsiwa	Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Raipur
48-Raipur Gramin	Sub Division Officer, Raipur
49-Raipur Nagar Pashchim	Addl. Collector, Raipur
50-Raipur Nagar Uttar	Collector, Raipur
51-Raipur Nagar Dakshin	Addl. Collector & ADM, Raipur
52-Arang (S.C.)	Dupty Commissioner (Revenue), Raipur
53-Abhanpur	Chief Executive Officer, Raipur Development Authority, Raipur
54-Rajim	Collector, Gariyaband
55-Bindranawagarh (S.T.)	Sub Division Officer, Gariyaband
56-Sihawa (S.T.)	Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Dhamtari
57-Kurud	Addl. Collector, Dhamtari
58-Dhamtari	Collector, Dhamtari
59-Sanjari Balod	Collector, Balod
60-Dondilohara (S.T.)	Sub Division Officer, Dondilohara
61-Gundardehi	Addl. Collector, Balod
62-Patan	Sub Divisional Officer, Patan
63-Durg Gramin	Addl. Collector, Durg
64-Durg Shahar	Collector, Durg
65-Bhilai Nagar	Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Durg
66-Vaishali Nagar	Addl. Collector, Durg
67-Ahiwara (S.C.)	Sub Divisional Officer, Durg
68-Saja	Addl. Collector, Bemetara
69-Bemetara	Collector, Bemetara
70-Nawagarh (S.C.)	Sub Divisional Officer, Bemetara
71-Pandaria	Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Kabirdham
72-Kawardha	Collector, Kabirdham
73-Khairagarh	Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Rajnandgaon
74-Dongargarh (S.C.)	Sub Divisional Officer, Dongargarh
75-Rajnandgaon	Collector, Rajnandgaon
76-Dongargaon	Sub Divisional Officer, Dongargaon
77-Khujji	Addl. Collector, Rajnandgaon
78-Mohala-Manpur (S.T.)	Sub Divisional Officer, Mohala
79-Antagarh (S.T.)	Addl. Collector, Kanker
80-Bhanupratappur (S.T.)	Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Kanker
81-Kanker (S.T.)	Collector, Kanker
82-Keshkal (S.T.)	Sub Divisional Officer, Kondagaon
83-Kondagaon (S.T.)	Collector, Kondagaon
84-Narayanpur (S.T.)	Collector, Narayanpur
85-Bastar (S.T.)	Sub Divisional Officer, Bastar
86-Jagdalpur	Collector, Bastar

(1)	(2)
87-Chitrakot (S.T.)	Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Bastar
88-Dantewada (S.T.)	Collector, Dantewada
89-Bijapur (S.T.)	Collector, Bijapur
90-Konta (S.T.)	Collector, Sukma

By Order,

Sd/-
(R. K. SRIVASTAVA)
Principal Secretary,
Election Commission of India.

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर, 2013—15 भाद्रपद, 1935 (शक)

अधिसूचना

सं. 434/छ.ग.-वि.स./2013 (2).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना संख्या 434/छ.ग.-वि.स./2013 (2) दिनांक 8 जुलाई, 2008 का अधिक्रमण करते हुए भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सरकार के परामर्श से, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, जैसा कि उक्त तालिका के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट है, में रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यों के निष्पादन में, सहायता करने के लिये सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है :—

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम (1)	सहायक रिटर्निंग आफिसर (2)
1-भरतपुर-सोनहत (अ.ज.जा)	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भरतपुर 2. तहसीलदार, भरतपुर 3. तहसीलदार सोनहत
2-मनेन्द्रगढ़	1. तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़ 2. आयुक्त, नगर पालिका निगम, चिरमिरी
3-बैकुण्ठपुर	1. तहसीलदार, बैकुण्ठपुर 2. तहसीलदार, खड़गवां
4-प्रेमनगर	1. अनुविभागीय अधिकारी, सूरजपुर 2. तहसीलदार, प्रेमनगर
5-भटगांव	1. तहसीलदार, सूरजपुर 2. अतिरिक्त तहसीलदार, भटगांव

(1)	(2)
6-प्रतापपुर (अ.ज.जा)	1. तहसीलदार, प्रतापपुर 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, प्रतापपुर 3. परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सूरजपुर
7-रामानुजगंज (अ.ज.जा)	1. अनुविभागीय अधिकारी, रामानुजगंज 2. तहसीलदार, रामानुजगंज
8-सामरी (अ.ज.जा.)	1. अनुविभागीय अधिकारी, सामरी 2. तहसीलदार, सामरी 3. परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बलरामपुर
9-लुण्ड्रा (अ.ज.जा.)	1. तहसीलदार, लुण्ड्रा 2. तहसीलदार, लखनपुर
10-अम्बिकापुर	1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी (शहर), अम्बिकापुर 2. तहसीलदार, अम्बिकापुर
11-सीतापुर (अ.ज.जा.)	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सीतापुर 2. तहसीलदार, सीतापुर
12-जशपुर (अ.ज.जा.)	1. तहसीलदार, जशपुर 2. अनुविभागीय अधिकारी, जशपुर
13-कुनकुरी (अ.ज.जा.)	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुनकुरी 2. तहसीलदार, कुनकुरी
14-पत्थलगांव (अ.ज.जा.)	1. अनुविभागीय अधिकारी, पत्थलगांव 2. तहसीलदार, पत्थलगांव
15-लैलूंगा (अ.ज.जा.)	1. तहसीलदार, लैलूंगा 2. तहसीलदार, तमनार
16-रायगढ़	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ 2. तहसीलदार, रायगढ़ 3. तहसीलदार, पुसौर
17-सारंगढ़ (अ.जा.)	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ 2. तहसीलदार, सारंगढ़ 3. तहसीलदार, बरमकेला
18-खरसिया	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया 2. तहसीलदार, खरसिया
19-धरमजयगढ़ (अ.ज.जा.)	1. तहसीलदार, धरमजयगढ़ 2. तहसीलदार, घरघोड़ा

(1)	(2)
20-रामपुर (अ.ज.जा.)	1. तहसीलदार, करतला 2. डिप्टी कलेक्टर, कोरबा
21-कोरबा	1. अनुविभागीय अधिकारी, कोरबा 2. तहसीलदार, कोरबा
22-कटघोरा	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा 2. तहसीलदार, कटघोरा
23-पाली-तानाखार (अ.ज.जा.)	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पोड़ी उपरोड़ा 2. तहसीलदार, पाली
24-मरवाही (अ.ज.जा.)	1. तहसीलदार, मरवाही 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मरवाही
25-कोटा	1. तहसीलदार, कोटा 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कोटा
26-तखतपुर	1. सत्कार अधिकारी जिला कार्यालय, बिलासपुर 2. तहसीलदार, तखतपुर
27-बिल्हा	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा 2. तहसीलदार, बिल्हा
28-बिलासपुर	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर 2. तहसीलदार, बिलासपुर
29-बेलतरा	1. उपायुक्त (भू-अभिलेख), बिलासपुर 2. अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर
30-मस्तुरी (अ.जा.)	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मस्तुरी 2. तहसीलदार, मस्तुरी
31-लोरमी	1. तहसीलदार, लोरमी 2. परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेली
32-मुंगेली (अ.जा.)	1. अनुविभागीय अधिकारी, मुंगेली 2. तहसीलदार, मुंगेली
33-अकलतरा	1. तहसीलदार, जांजगीर 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अकलतरा
34-जांजगीर-चांपा	1. तहसीलदार, चाम्पा 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, चाम्पा
35-सक्ती	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती 2. तहसीलदार, सक्ती

(1)	(2)
36-चन्द्रपुर	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, डभरा 2. तहसीलदार, डभरा 3. डिप्टी कलेक्टर, जांजगीर
37-जैजैपुर	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जैजैपुर 2. तहसीलदार, जैजैपुर
38-पामगढ़ (अ.जा.)	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पामगढ़ 2. तहसीलदार, पामगढ़
39-सराईपाली (अ.जा.)	1. तहसीलदार, सराईपाली 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सराईपाली
40-बसना	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिथौरा 2. तहसीलदार, पिथौरा
41-खल्लारी	1. डिप्टी कलेक्टर, महासमुन्द 2. तहसीलदार, बागबाहरा
42-महासमुन्द	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुन्द 2. तहसीलदार, महासमुन्द
43-बिलाईगढ़ (अ.जा.)	1. अनुविभागीय अधिकारी, बिलाईगढ़ 2. तहसीलदार, बिलाईगढ़
44-कसडोल	1. तहसीलदार, कसडोल 2. तहसीलदार, पलारी
45-बलौदाबाजार	1. डिप्टी कलेक्टर, बलौदाबाज़ार 2. तहसीलदार, बलौदाबाजार
46-भाटापारा	1. तहसीलदार, भाटापारा 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, भाटापारा 3. परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बलौदाबाजार
47-धरसींवा	1. संचालक भू-अभिलेख, रायपुर 2. अतिरिक्त तहसीलदार, धरसींवा
48-रायपुर ग्रामीण	1. संयुक्त कलेक्टर, रायपुर 2. तहसीलदार, रायपुर
49-रायपुर नगर पश्चिम	1. प्रबंधक, भूमि नया रायपुर विकास प्राधिकरण 2. तहसीलदार (नजूल), रायपुर
50-रायपुर नगर उत्तर	1. संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर, रायपुर 2. अतिरिक्त तहसीलदार, रायपुर

(1)	(2)
51-रायपुर नगर दक्षिण	1. प्रबंधक, सम्पदा नया रायपुर, जिला प्राधिकरण, रायपुर 2. तहसीलदार, तिल्दा
52-आरंग (अ.जा.)	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), आरंग-अभनपुर 2. तहसीलदार, आरंग
53-अभनपुर	1. प्रबंधक, पुनर्वास, नया रायपुर विकास प्राधिकरण 2. तहसीलदार, अभनपुर
54-राजिम	1. तहसीलदार, राजिम 2. तहसीलदार, फिंगेश्वर 3. परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गरियाबंद
55-बिन्दानवागढ़ (अ.ज.जा.)	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देवभोग 2. तहसीलदार, देवभोग 3. तहसीलदार, गरियाबंद
56-सिहावा (अ.ज.जा.)	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नगरी 2. तहसीलदार, नगरी
57-कुरूद	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद 2. तहसीलदार, कुरूद
58-धमतरी	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धमतरी 2. तहसीलदार, धमतरी
59-संजारी बालोद	1. अनुविभागीय अधिकारी, बालोद 2. तहसीलदार, बालोद
60-डौण्डीलोहारा (अ.ज.जा.)	1. डिप्टी कलेक्टर, बालोद 2. तहसीलदार, डौण्डीलोहारा
61-गुण्डरदेही	1. अनुविभागीय अधिकारी, गुण्डरदेही 2. तहसीलदार, गुण्डरदेही
62-पाटन	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पाटन 2. तहसीलदार, पाटन
63-दुर्ग ग्रामीण	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दुर्ग 2. तहसीलदार, दुर्ग
64-दुर्ग शहर	1. डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग 2. आयुक्त, नगर निगम, भिलाई
65-भिलाई नगर	1. डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग 2. अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग

(1)	(2)
66–वैशाली नगर	1. डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग 2. तहसीलदार (नजूल), दुर्ग
67–अहिवारा (अ.जा.)	1. तहसीलदार, धमधा 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अहिवारा
68–साजा	1. अनुविभागीय अधिकारी, साजा 2. तहसीलदार, साजा
69–बेमेतरा	1. परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, बेमेतरा 2. तहसीलदार, बेमेतरा
70 नवागढ़ (अ.जा.)	1. तहसीलदार, नवागढ़ 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नवागढ़
71–पंडरिया	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पण्डरिया 2. तहसीलदार, पण्डरिया
72–कवर्धा	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा 2. तहसीलदार, कवर्धा 3. तहसीलदार, बोड़ला
73–खैरागढ़	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खैरागढ़ 2. तहसीलदार, खैरागढ़
74–डोंगरगढ़ (अ.जा.)	1. तहसीलदार, डोंगरगढ़ 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, डोंगरगढ़
75–राजनांदगांव	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनांदगांव 2. तहसीलदार, राजनांदगांव
76–डोंगरगांव	1. तहसीलदार, डोंगरगांव 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, डोंगरगांव
77–खुज्जी	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छुरिया 2. तहसीलदार, छुरिया
78–मोहला–मानपुर (अ.ज.जा.)	1. तहसीलदार, मोहला 2. तहसीलदार, मानपुर 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मोहला
79–अंतागढ़ (अ.ज.जा.)	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पखांजूर 2. तहसीलदार, अंतागढ़ 3. तहसीलदार, पखांजूर
80–भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.)	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भानुप्रतापपुर 2. तहसीलदार, भानुप्रतापपुर 3. तहसीलदार, चारामा

(1)	(2)
81-कांकेर (अ.ज.जा.)	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कांकेर 2. तहसीलदार, कांकेर 3. तहसीलदार, नरहरपुर
82-केशकाल (अ.ज.जा.)	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), केशकाल 2. तहसीलदार, केशकाल 3. तहसीलदार, बड़ेराजपुर
83-कोण्डागांव (अ.ज.जा.)	1. तहसीलदार, कोण्डागांव 2. तहसीलदार, माकड़ी 3. परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कोण्डागांव
84-नारायणपुर (अ.ज.जा.)	1. अनुविभागीय अधिकारी, नारायणपुर 2. तहसीलदार, नारायणपुर 3. तहसीलदार, ओरछा
85-बस्तर (अ.ज.जा.)	1. डिप्टी कलेक्टर, जगदलपुर 2. तहसीलदार, बस्तर
86-जगदलपुर	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जगदलपुर 2. तहसीलदार, जगदलपुर
87-चित्रकोट (अ.ज.जा.)	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तोकापाल 2. तहसीलदार, तोकापाल
88-दन्तेवाड़ा (अ.ज.जा.)	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दन्तेवाड़ा 2. तहसीलदार, दन्तेवाड़ा 3. तहसीलदार, गीदम
89-बीजापुर (अ.ज.जा.)	1. अनुविभागीय अधिकारी, बीजापुर 2. तहसीलदार, बीजापुर 3. तहसीलदार, भोपालपटनम
90-कोन्टा (अ.ज.जा.)	1. अनुविभागीय अधिकारी, सुकमा 2. तहसीलदार, सुकमा 3. तहसीलदार, कोन्टा

आदेश से,

हस्ता/-
(आर. के. श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

New Delhi, the 6th September, 2013—15 Bhadrapada, 1935 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434/CG-LA/2013 (2).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its notification No. 434/CG-LA/2008 (2) dated 8th July, 2008, the Election Commission of India hereby designated in consultation with the Government of the State of Chhattisgarh, the Officers of the Government of Chhattisgarh, as the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer of the Assembly Constituency of the State of Chhattisgarh, as specified in Column (1) of the said Table against such Officer in the performance of the functions of such Returning Officers :—

TABLE

Number and name of Assembly Constituency (1)	Assistant Returning Officer (2)
1-Bharatpur-Sonhat (S.T.)	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Bharatpur 2. Tahsildar, Bharatpur 3. Tahsildar, Sonhat
2-Manendragarh	1. Tahsildar, Manendragarh 2. Commissioner, Nagar Palika Nigam, Chirmiri
3-Baikunthpur	1. Tahsildar, Baikunthpur 2. Tahsildar, Khadgawan
4-Premnagar	1. Sub Divisional Officer, Surajpur 2. Tahsildar, Premnagar
5-Bhatgaon	1. Tahsildar, Surajpur 2. Addl. Tahsildar, Bhatgaon
6-Pratappur (S.T.)	1. Tahsildar, Pratappur 2. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Pratappur 3. Project Officer, DRDA, Surajpur
7-Ramanujganj (S.T.)	1. Sub Divisional Officer, Ramanujganj 2. Tahsildar, Ramanujganj
8-Samri (S.T.)	1. Sub Divisional Officer, Samri 2. Tahsildar, Samri 3. Project Officer, DRDA, Balrampur
9-Lundra (S.T.)	1. Tahsildar, Lundra 2. Tahsildar, Lakhanpur
10-Ambikapur	1. Sub Divisional Officer (Sity), Ambikapur 2. Tahsildar, Ambikapur
11-Sitapur (S.T.)	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Sitapur 2. Tahsildar, Sitapur
12-Jashpur (S.T.)	1. Tahsildar, Jashpur 2. Sub Divisional Officer, Jashpur
13-Kunkuri (S.T.)	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Kunkuri 2. Tahsildar, Kunkuri

(1)	(2)
14-Pathalgaon (S.T.)	1. Sub Divisional Officer, Pathalgaon 2. Tahsildar, Pathalgaon
15-Lailunga (S.T.)	1. Tahsildar, Lailunga 2. Tahsildar, Tamnar
16-Raigarh	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Raigarh 2. Tahsildar, Raigarh 3. Tahsildar, Pussore
17-Sarangarh (S.C.)	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Sarangarh 2. Tahsildar, Sarangarh 3. Tahsildar, Baramukela
18-Kharsia	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Kharsia 2. Tahsildar, Kharsia
19-Dharamjaigarh (S.T.)	1. Tahsildar, Dharamjaigarh 2. Tahsildar, Gharghoda
20-Rampur (S.T.)	1. Tahsildar, Kartala 2. Dy. Collector, Korba
21-Korba	1. Sub Divisional Officer, Korba 2. Tahsildar, Korba
22-Katghora	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Katghora 2. Tahsildar, Katghora
23-Pali-Tanakhar (S.T.)	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Pondiuprora 2. Tahsildar, Pali
24-Marwahi (S.T.)	1. Tahsildar, Marwahi 2. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Marwahi
25-Kota	1. Tahsildar, Kota 2. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Kota
26-Takhatpur	1. Protocal Officer, District Office, Bilaspur 2. Tahsildar, Takhatpur
27-Bilha	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Bilha 2. Tahsildar, Bilha
28-Bilaspur	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Bilaspur 2. Tahsildar, Bilaspur
29-Beltara	1. Dy. Commissioner (Land Record), Bilaspur 2. Addl. Tahsildar, Bilaspur
30-Masturi (S.C.)	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Masturi 2. Tahsildar, Masturi
31-Lormi	1. Tahsildar, Lormi 2. Project Officer, DRDA, Mungeli

(1)	(2)
32-Mungeli (S.C.)	1. Sub Divisional Officer, Mungeli 2. Tahsildar, Mungeli
33-Akaltara	1. Tahsildar, Janjgir 2. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Akaltara
34-Janjgir-Champa	1. Tahsildar, Champa 2. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Champa
35-Sakti	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Sakti 2. Tahsildar, Sakti
36-Chandrapur	1. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Dabhara 2. Tahsildar, Dabhara 3. Dy. Collector, Janjgir
37-Jaijepur	1. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Jaijepur 2. Tahsildar, Jaijepur
38-Pamgarh (S.C.)	1. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Pamgarh 2. Tahsildar, Pamgarh
39-Saraipali (S.C.)	1. Tahsildar, Saraipali 2. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Saraipali
40-Basna	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Pithori 2. Tahsildar, Pithori
41-Khallari	1. Dy. Collector, Mahasamund 2. Tahsildar, Bagbahara
42-Mahasamund	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Mahasamund 2. Tahsildar, Mahasamund
43-Bilaigarh (S.C.)	1. Sub Divisional Officer, Bilaigarh 2. Tahsildar, Bilaigarh
44-Kasdol	1. Tahsildar, Kasdol 2. Tahsildar, Palari
45-Balodabazar	1. Dy. Collector, Balodabazar 2. Tahsildar, Balodabazar
46-Bhatapara	1. Tahsildar, Bhatapara 2. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Bhatapara 3. Project Officer, DRDA, Balodabazar
47-Dharsiwa	1. Director, (Land Record), Raipur 2. Addl. Tahsildar, Dharsiwa
48-Raipur Gramin	1. Joint Collector, Raipur 2. Tahsildar, Raipur
49-Raipur Nagar Pashchim	1. Manager, Land NRDA 2. Tahsildar, Nazul, Raipur

(1)	(2)
50-Raipur Nagar Uttar	1. Joint Collector/Dy. Collector, Raipur 2. Addl. Tahsildar, Raipur
51-Raipur Nagar Dakshin	1. Manager, Estate N. R. D. A. Raipur 2. Tahsildar, Tilda
52-Arang (S.C.)	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Arang-Abhanpur 2. Tahsildar, Arang
53-Abhanpur	1. Manager, NRDA 2. Tahsildar, Abhanpur
54-Rajim	1. Tahsildar, Rajim 2. Tahsildar, Fingeshwar 3. Project Officer, DRDA, Gariyaband
55-Bindranawagarh (S.T.)	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Devbhog 2. Tahsildar, Devbhog 3. Tahsildar, Gariyaband
56-Sihawa (S.T.)	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Nagri 2. Tahsildar, Nagri
57-Kurud	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Kurud 2. Tahsildar, Kurud
58-Dhamtari	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Dhamtari 2. Tahsildar, Dhamtari
59-Sanjari Balod	1. Sub Divisional Officer, Balod 2. Tahsildar, Balod
60-Dondilohara (S.T.)	1. Dy. Collector, Balod 2. Tahsildar, Dondilohara
61-Gundardehi	1. Sub Divisional Officer, Gundardehi 2. Tahsildar, Gundardehi
62-Patan	1. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Patan 2. Tahsildar, Patan
63-Durg Gramin	1. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Durg. 2. Tahsildar, Patan
64-Durg Shahar	1. Dy. Collector, Durg 2. Commissioner, Nagar Nigam, Bhilai
65-Bhilai Nagar	1. Dy. Collector, Durg 2. Addl. Tahsildar, Durg
66-Vaishali Nagar	1. Dy. Collector, Durg 2. Tahsildar (Nazul), Durg
67-Ahiwara (S.C.)	1. Tahsildar, Dhamdha 2. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Ahiwara

(1)	(2)
68-Saja	1. Sub Divisional Officer, Saja 2. Tahsildar, Saja
69-Bemetara	1. Project Officer, DRDA, Bemetara 2. Tahsildar, Bemetara
70-Nawagarh (S.C.)	1. Tahsildar, Nawagarh 2. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Nawagarh
71-Pandaria	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Pandariya 2. Tahsildar, Pandariya
72-Kawardha	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Kawardha 2. Tahsildar, Kawardha 3. Tahsildar, Bodla
73-Khairagarh	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Khairagarh 2. Tahsildar, Khairagarh
74-Dongargarh (S.C.)	1. Tahsildar, Dongargarh 2. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Dongargarh
75-Rajnandgaon	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Rajnandgaon 2. Tahsildar, Rajnandgaon
76-Dongargaon	1. Tahsildar, Dongargaon 2. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Dongargaon
77-Khujji	1. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Chhuriya 2. Tahsildar, Chhuriya
78-Mohala-Manpur (S.T.)	1. Tahsildar, Mohala 2. Tahsildar, Manpur 3. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Mohala
79-Antagarh (S.T.)	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Pakhanjur 2. Tahsildar, Antagarh 3. Tahsildar, Pakhanjur
80 Bhanupratappur (S.T.)	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Bhanupratappur 2. Tahsildar, Bhanupratappur 3. Tahsildar, Charama
81-Kanker (S.T.)	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Kanker 2. Tahsildar, Kanker 3. Tahsildar, Narharpur
82-Keshkal (S.T.)	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Keshkal 2. Tahsildar, Keshkal 3. Tahsildar, Baderajpur
83-Kondagaon (S.T.)	1. Tahsildar, Kondagaon 2. Tahsildar, Makdi 3. Project Officer, DRDA, Kondagaon

(1)	(2)
84-Narayanpur (S.T.)	1. Sub Divisional Officer, Narayanpur 2. Tahsildar, Narayanpur 3. Tahsildar, Orchha
85-Bastar (S.T.)	1. Dy. Collector, Jagdalpur 2. Tahsildar, Bastar
86-Jagdalpur	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Jagdalpur 2. Tahsildar, Jagdalpur
87-Chitrakot (S.T.)	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Tokapal 2. Tahsildar, Tokapal
88-Dantewada (S.T.)	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Dantewada 2. Tahsildar, Dantewada 3. Tahsildar, Gidam
89-Bijapur (S.T.)	1. Sub Divisional Officer, Bijapur 2. Tahsildar, Bijapur 3. Tahsildar, Bhopalpatnam
90-Konta (S.T.)	1. Sub Divisional Officer, Sukma 2. Tahsildar, Sukma 3. Tahsildar, Konta

By Order,

Sd/-
(R. K. SRIVASTAVA)
Principal Secretary,
Election Commission of India.